

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 590/कार्मिक-2/2003-55 (28)/2002

देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग-1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- सेवा की प्राप्ति 2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
- इन नियमों का लागू होना 3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।
- अध्यारोही प्रभाव 4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
- परिभाषाएं 5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
(ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

- (च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;
- (छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-2

संवर्ग

6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय। सेवा का संवर्ग

भाग-3

भर्ती

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। भर्ती का स्रोत
8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग-4

अर्हताएं

9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी— राष्ट्रीयता
- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्रियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

प्राविधिक और
शैक्षिक अर्हताएं

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:—

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(दो) यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्रिया के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता

12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने—

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

चरित्र

13. सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक शारीरिक स्वस्थता दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग-5

भर्ती की प्रक्रिया

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।
17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सीधी भर्ती की प्रक्रिया होंगे:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;

अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी;

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) (1) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

- (3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-6

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

- (3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग-7

वेतन आदि

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा वेतनमान समय-समय पर अवधारित किया जाय।
23. फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परिवीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग-8

अन्य विनियमन

24. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन
25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन
26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा की शर्तों में शिथिलता
27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

